भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

राजस्व विविध वाद सं0–02/2018–19

मो0 अबरार आलम .....वादी

बनाम्

बीबी साबरा खातुन.....प्रतिवादी

एवं अन्य

–:आदेश:–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं जमाबंदी रैयत 27 की ओर से विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातो का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक मु0–अबरार आलम, पिता–स्व0 मु0 रफीक आलम, साकिन–गोड्डा मेन रोड स्टेट बैंक के सामने थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा द्वारा उपायुक्त महोदय गोड्डा को सम्बोधित आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। उक्त आवेदन में अंचलअधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा निर्गत विपक्षी बीबी साबरा खातुन के नाम निर्गत परिवारिक संबंध प्रमाण पत्र संख्या–39 दिनांक–07.09.2012 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी गोड्डा सदर के समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र मौजा–गोढ़ीमाल, जमाबंदी नं0–27 से संबंधित है।

अतः आवेदक के आवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी बीबी साबरा खातुन एवं जामबंदी रैयत 27 मौजा– गोढ़ीमाल के गेंजर पर्चा के जमाबंदी रैयत के वंशजो के नाम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिश के आधार पर विपक्षी एवं जमाबंदी नं0–27 के जमांबदी रैयत के वंशज उपस्थित हुए प्रश्नगत वाद में बहस के दौरान आवेदक एवं उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। विपक्षी साबरा खातुन एवं जमाबंदी नं0–27 के जमाबंदी रैयत के वंशज एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे आवेदक के आवेदन एवं उपस्थित सभी पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातो एवं अंचल अधिकारी गोड्ड सदर के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

आवेदक के आवेदन में यह वर्णित है कि मौजा–गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0–27 के जमीन से बीबी साबारा खातुन का कोई संबंध नहीं है।

उक्त जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का आर0ई0आर0 केश नं0–2708./1934–35 के द्वारा उच्छेदी में भगलु मियॉ को प्राप्त हुआ है। एवं भगलु मियॉ को दखल दिहानी दिलाया गया है।

विपक्षी बीबी साबारा खातुन भगलु मियॉ का कोई नहीं है। परन्तु अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के द्वारा विपक्षी को उपरोक्त पारिवारिक संबंध में प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है।

जिसमें जमाबंदी रैयत के रूप में बाबर अली व बीबी बत्तीसा पति–भगलु मियॉ दर्ज किया गया है।

अतः पारिवारिक संबंध प्रमाण–पत्र गलत रूप से निर्गत किया गया है। उत्तर वादी बीबी साबरा खातुन के द्वारा इस वाद में कोई लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया है।

परन्तु उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथन में कहा गया है कि मौजा–गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0–27 के अर्न्तगत रकवा–07–12–11 धूर सात बीधा बारह कट्ठा ग्यारह धूर जमीन आर0ई0आर0 केश नं0–2708/1934–35 द्वारा भगलु मियॉ को बन्दोबस्त की गई थी भगलु मियॉ को कोई संतान नहीं था जिस कारण बीबी साबारा की मॉ बीबी जुबेदा को अपने साथ रखा था। जिसमें भगलु मियॉ का मृत्यु तक सेवा किया और उनके जमीन पर दखल कार हुई बीबी जुबेदा खातुन के पिता बाबर अली भगलु मियॉ का साला है। और प्रश्नगत वंशावली बाबर अली के नाम से निर्गत है। एवं जमाबंदी नं0–27 के अर्न्तगत 00–01–10 (एक कट्ठा दस धूर) जमीन पर उनका मकान भी बना हुआ है। अतः यह वंशावली सही है। इसलिए आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रश्नगत मौजा– गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0–27 के गेंजर पर्चा धारक के वंशज के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत परिवारिक संबंध प्रमाण पत्र मौजा–गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0–27 से संबंधित है। उक्त जमाबंदी की जमीन गत गेंजर सेटलमेंन्ट पर्चा में मो0 जीनी पति–गुलु पडित, कौम कुम्हार साकिन देह के नाम से दर्ज है। मो0 जीनी को दो भाई प्रेम पंडित एवं ज्ञानी पडित थे जिनके वंशज इस वाद में पक्षकार के रूप में उपस्थित है। उक्त जमीन के बन्दोबस्तदार भगलु मियॉ फौत कर गये है। उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक एवं विपक्षी दोनो में से कोई पक्षकार भगलु मियॉ के वंशज नहीं है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत मामला श्रीमान उपायुक्त महोदय के न्यायालय में मु0 अबरार आलम द्वारा इस वाद में आवेदिका बीबी साबरा खातुन के विरूद्ध रिविजन वाद संख्या–08/2018–19 दायर किया था।

जिसमें श्रीमान उपायुक्त महोदय द्वारा भी पाया गया की मौजा–गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0–27 कुल रकवा–07–14–00 धूर जमीन जमाबंदी रैयत मो0 जीनी जौजे गुलू पंडित के नाम गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में दर्ज है। रिविजन कर्त्ता मु0 अबरार आलम जो इस वाद में आवेदक है। एवं विपक्षी बीबी साबरा खातुन जो इस वाद में विपक्षी है के द्वारा दावा किया गया है कि उक्त जमीन के अन्तर्गत रकवा–07–12–11 धूर जमीन भगलु मियॉ को बन्दोबस्त की गई थी श्रीमान उपायुक्त महोदय ने अपने आदेश में यह भी पाया है कि बन्दोबस्त दार भगलु मियॉ की मृत्यु नावल्द हो गई है। जमाबन्दी रैयत के वंशज के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत वाद में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी नं0–27 रकवा–07–14–00 धूर मो0 जीनी जौजे गुलु पंडित के नाम गत सर्वे खतियान में अंकित है। जिसमें से अंश रकवा 07–12–11 धूर जमीन भगलु मियॉ को आर0ई0आर0 केश नं0–2708/1934–35 में बन्दोबस्त किया गया है। उन्होने यह भी प्रतिवेदित किया है कि भगलु मियॉ नावल्द मृत है। एवं उभय पक्ष के द्वारा जॉच में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे स्पष्ट हो सके की वे लोग भगलु मियॉ का वंशज है।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख बद्ध कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र 39 में विपक्षी साबरा खातुन का बाबर अली वो बीबी बत्तीसा पति भगलु मियाँ का वंशज बतलाया गया है एवं इसी भगलु मियाँ के नाम जमाबंदी नं0–27 के उपरोक्त वर्णित 07–12–11 धूर जमीन आर0ई0आर0 वाद संख्या–2708 / 1934–35 के द्वारा उच्छेदी के पश्चात बन्दोबस्ती का दावा किया गया है।

एवं उभय पक्ष प्रश्नगत पारिवारिक संबंध प्रमाणपत्र संख्या–39 दिनांक–07 / 09 / 2012 के माध्यम से भगलु मियाँ से आपना संबंध स्थापिल कर भगलु मियाँ के नाम उपरोक्त मौजा–गोढ़ीघाट के जमाबंदी नं0–27 अंश रकवा–07–12–11 धूर जमीन पर अपना अधिकार एवं कब्जा करना चाहते है।

उभय पक्ष के तर्को एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि भगलु मियाँ नावल्द फौत कर गये है एवं आवेदक मो0 अबरार आलम एवं विपक्षी बीबी साबरा खातुन भगलु मियाँ के वंशज नहीं है। एवं प्रश्नगत मौजा–गोढ़ीघाट के जमाबंदी नं0–27 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट में मो0 जीनी जौजे गुलु पंडित के नाम दर्ज है।

एवं मध्यागन्तुक पक्षकार जमाबंदी रैयत मो0 जीनी के वंशज है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के द्वारा निर्गत परिवारिक संबंध प्रमाण पत्र संख्या–39 दिनांक–07.09.2012 को रद्द किया जाता है।

एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित जमाबंदी नं0–27 मौजा–गोढ़ीघाट के दाग नं0–531, 532, 698, 699, 700, 702 757, 788, 789, 815 एवं 538 / 1068 में से विपक्षी बीबी साबरा खातुन के दखल कब्जे वाली 00–01–10 (एक कट्ठा दस धूर) जमीन छोडकर शेष जमीन को अवैध दखलकारों से मुक्त कराकर जमाबंदी रैयत मो0 जीनी जौजे गुलु पंडित के वंशजो को वापस दिलाने की दिशा में अविल[illegible] कार्रवाई करें।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.01.08 12:19:23 +05:30
Location: 192.168.137.1

लेखापित एवं संशोधित।

27.7.23 | 27.7.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा। | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा।